न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मुपाराम पुत्र चोलाराम उम्र 35 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी आजबर, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसवंतपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार जसवंतपुरा के समक्ष पटवारी हल्का बूगांव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टर पर छपरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रूपये शास्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा

अपने निर्णय दिनांक 30.12.2013 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वर्तमान खसरा नंबर 125/323 रकबा 0.20 हैक्टेयर का सृजन पूर्व खसरा नंबर 82 से हुआ है एवं खसरा नंबर 82 की भूमि रिसेटलमेंट से पूर्व ही संवत 2033 के लगभग म्यूटेशन संख्या 44 के जरिये 4 बीघा भूमि आबादी परिवर्तित की गई थी। उक्त आराजी वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते गैर मुमकिन में दर्ज है। पूर्व में खसरा नंबर 81 व 82 पास–पास थे। पूर्व खसरा नंबर 81 प्रथम सेटलमेंट के समय भी आबादी था एंव खसरा नंबर 82 में पुरानी आबादी बसी हुई थी। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर विगत 50 वर्ष से अधिक समय से बिना रोकटोक से कब्जा चला आ रहा है। पीठासीन अधिकारी ने कुछ ग्राम वासियो से मिलावाट कर एक फर्जी तौर पर बेदखली की फर्द दिनांक 18.06.2013 को तैयार की गई जिसमे मौके पर क्या–क्या सामान पाया तथा क्या समान कब्जे लिया उसको कोई उल्लेख नहीं है। उक्त फर्द पर अपीलांट स्वंय का हस्ताक्षर है। इसके विपरित दिनांक 20.06.2013 को सिविल न्यायाधीश (व.ख) भीनमाल के आदेश से कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण किया हैं जिसमे अपीलांट का कब्जा स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। जिसके आसपास पुरानी आबादी बसी हुई है। उक्त मौका फर्द पर पटवारी हल्का बूगांव एव नायब तहसीलदार बद्रीदान के हस्ताक्षर है। उक्त फर्द से अपीलांट का रहवास स्पष्ट तौर पर पुराना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत के द्वारा शिकायत करने का कोई उल्लेख नहीं है एवं न ही ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण में सुना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से छपरा बनाने के कारण पटवारी बूगांव द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार जसवंतपुरा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर भूमि पर से अतिक्रमण कर छपरा बनाने के कारण पटवारी हल्का बूगांव द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार जसवंतपुरा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर

अपील निर्णय पारित द्वारा अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रूपये शास्ति के आदेश प्रदान किया गया है। वकील अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 07/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2015 की प्रति फार्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत की। उक्त निर्णय के अन्तर्गत तहसीलदार जसवंतपुरा को गत खसरा नंबर 82 में से 4 बीघा अर्थत 0.64 हैक्टेयर भूमि के नवीन राजस्व रेकर्ड में सृजित खसरा नंबरान में ग्राम पंचायत गैर मुमकिन की जगह गैर मुमकिन आबादी की रिकोर्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये गये है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नंबर 125/323 का सृजन खसरा नंबर 82 से होना जाहिर किया हैं। जबकि उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर ने खसरा नंबर 82 के संबध में गैर मुमकिन आबादी रेकर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश पारित किये है। एवं गैर मुमकिन आबादी भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हाजा न्यायालय की राय मे समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण संख्या 07/2013 में नायब तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 43/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जसंवतपुरा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में मौके की पुनः विधिवत जांच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली